तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीम में जारी हुआ।
29/11/24	वकुलाय उपस्थित। बहस वकुलाय सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने एक राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी के प्रस्तुत कर सरहद मौजा बासनी मूथा तहसील सोजत के खसरा नम्बर 207 के पूर्वी भाग हैक्टर 0.8000 जिसके पडौस वाद पत्र के पद संख्या 01 में दिये हुए है और जो वाद पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे मार्क एबीसीडी लाल रंग से दर्शित है, वादी को इस हिस्से का बंटवाडा कर रेवेन्यु नक्शे में तरमीम करवाकर वादी के खातेदारी हक दर्ज किये जाने की ईशतदुआ की साथ ही प्रतिवादी संख्या 1, 2/1, 2/2 के विरूद्ध स्थाई निषेघाज्ञा जारी किये जाने की भी ईशतदुआ की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2/1 एवं 2/2 बावजूद सूचना/तामिल बार बार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 14/10/2020 को एक पक्षिय कार्यवाही की गई। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जबाब दावा मय मुजरई दावा पेश कर वादी का वाद वाद कारण के अभाव मे खारिज योग्य होने से तथा वादी बंटवाडा व स्थाई निषेघाज्ञा पाने का अधिकारी नही होने से वादी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया साथ ही मुजराई दावा पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 207 रकबा 2.7100 हैक्टर की कृषि भूमि में प्रतिवादी अन्नराज का 2/3 हक हिस्सा पर वादी प्रतिवादी अन्नराज के कब्जा काश्त में कोई दखल अन्दाजी पैदा नही करे एवं बेचाण दिनांक 25.01.1980 प्रतिवादी अन्नराज के विरूद्ध नल एण्ड वोईड करार दिया जाने की ईशतदुआ की है।, प्रस्तुत वाद एवं जबाब दावा तथा मुजराई दावा के आधार पर पत्रावली दिनांक 03.07.2024 तक एडी एवं कायमी तनकीयात में मुकर्रर हुई। इसी अनुरूप एक ओर दावा बनवान शंकरलाल बनाम अन्नराज वगैरह मु0न0 212/2011 प्रकरण इस न्यायालय में समान वाद की विषय वस्तु एवं समान पक्षकार व समान अनुतोष होने से उक्त प्रकरण को सांवतराज बनाम अन्नराज वगैरह प्रकरण संख्या 213/2011 के साथ समेकित किया गया। दिनांक 12.09.2024 को वादी एवं प्रतिवादी गण संख्या 3/1 से 3/6 के मध्य हस्तगत प्रकरण में राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य इस प्रकरण में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया । प्रतिवादी अनराज वादग्रस्त कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम बासनी मुथा तहसील सोजत में वादी का हैक्टर 0.8000 एवं प्रतिवादी संख्या 03 शंकरलाल को हैक्टर 0.8000 विक्रय करना स्वीकार करता है तथा इन दोनो का वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 207 रकबा 2.7100 हैक्टर में क्रमश 0.8000 हैक्टर, 0.8000 हैक्टर यानि 80/ 271, 80/271 हिस्सा होना स्वीकार करता है। प्रतिवादी संख्या 03 की मृत्यु हो	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ।
	चुकी है, प्रतिवादी संख्या 03 के कायम मुकाम प्रतिवादीगण संख्या 3/1 मुन्नीदेवी , 3/2 प्रेमकुमार, 3/3 भोलीदेवी, 3/4 पुष्पा, 3/5 सविता, 3/6 अनिता है। ऐसी परिस्थिति में वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 207 हैक्टर 2.7100 में वादी सांवतराज का हैक्टर 0.8000 यानि 80/271 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 03 शंकरलाल के कायम मुकाम प्रतिवादीगण संख्या 3/1 मुन्नीदेवी, 3/2 प्रेमकुमार , 3/3 भोलीदेवी, 3/4 पुष्पा, 3/5 सविता, 3/6 अनिता के पक्ष हैक्टर 0.8000 यानि 80/271 हिस्सा यानि प्रत्येक का 80/1626 हिस्सा के खातेदारी हक की घोषणा की जाती है एवं दौराने दावा प्रतिवादीगण संख्या 2/1 एवं 2/2 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि हैक्टर 2.71 में अपना 1/3 हिस्सा के खातेदारी हक का बेचान लीला पत्नि इन्दुचन्द को किया है एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड में उक्त लीला का 1/3 हिस्सा खातेदारी हक दर्ज हो चुका है, प्रतिवादी संख्या 01 वादग्रस्त कृषि भूमि हैक्टर 2.71 में 80/271, व 80/271 व 1/3 हिस्सा बेचने के पश्चात शेष हिस्सा 62/813 खातेदारी का रहता हे इस अनुरूप राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाता है तो पक्षकारान को कोई एतराज नही है। इस प्रकार राजीनामा पेश कर वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 207 रकबा 2.7100 में वादी सांवतराज का हैक्टर 0.8000 यानि 80/271 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 03 शंकरलाल के कायम मुकाम प्रतिवादीगंण संख्या 3/1 मुन्नीदेवी , 3/2 प्रेम कुमार, 3/3 भोलीदेवी, 3/4 पुष्पा, 3/5 सविता, 3/6 अनिता के पक्ष में 0.8000 हैक्टर यानि 80/271 हिस्सा यानि प्रत्येक का 80/1626 हिस्सा के खातेदारी हक की घोषणा की जावे एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड में लीला पत्नि इन्दुचन्द का 1/3 हिस्सा यथावत' रखा जावे एवं प्रतिवादी संख्या संख्या 1 का 62/813 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे। बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने माफिक राजीनाम वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। साथ ही प्रार्थना पत्र पेश कर वादी का वाद 53 आर0टी0एक्ट 1955 की हद तक पुनः वाद लाने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए जरिये विड्रोल खारिज किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र जुबाब दावा मय मुजराई दावा, प्रस्तुत राजीनामा का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता वादी द्वारा धारा 53 की हद तक वाद पुनः वाद लाने का अधिकार सुरक्षित रखने हुए जरिये विड्रोल खारिज किये का निवेदन करने से वादी धारा 53 की हद तक पुनः वाद लाने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए वादी का वाद धारा 53 आरटीएक्ट 1955 की हद तक खारिज किया जाता है। वादी मय अधिवक्ता वादी द्वारा धारा 88 आरटीएक्ट के तहत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ।

प्रकरण निवेदन किया कि स्व उगाराम ने अपने जीवनकाल में उक्त कृषि भूमि का पूर्वी भाग रकबा 0.8000 हैक्टर वादी को दिनांक 25.01.1980 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय कर दी थी तथा प्रतिवादीगण संख्या 2/1 एवं 2/2 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि हैक्टर 2.71 में अपना 1/3 हिस्सा के खातेदारी हक का बेचान लीला पत्नि इन्दुचन्द को किया है, उसी अनुसार पक्षकारो मे आपसी राजीनामा भी पेश किया है, बैचान दस्तावेज संलग्न है। चूकि प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। लिहाजा वादी का वाद आदेश 15 नियम 01 के तहत माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादस्थ कृषि भूमि सहरद बासनी मूथा के खसरा नम्बर 207 रकबा 2.7100 में वादी सांवतराज को हैक्टर 0.8000 यानि 80/271 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 03 शंकरलाल के कायम मुकाम प्रतिवादीगण संख्या 3/1 मुन्नीदेवी , 3/2 प्रेम कुमार, 3/3 भोलीदेवी, 3/4 पुष्पा, 3/5 सविता, 3/6 अनिता के पक्ष में 0.8000 हैक्टर यानि 80/271 हिस्सा यानि प्रत्येक का 80/1626 हक हिस्सा के खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या संख्या 1 का 62/813 हिस्सा खातेदारी काश्तकार घोषित जाना तथा तहसीदार सोजत को तदोनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किए जाने के आदेश दिए जाना उचित समझते है। डिक्री पर्चा मूर्तीब हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

—::आदेश::—

अतः अधिवक्ता वादी का वाद धारा 53 की हद तक पुनः वाद लाने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए जरिये विड्रोवल खारिज किया जाता है तथा शेष वाद माफिक राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। डिक्री इस अमर की सादिर की जाती है कि वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा बासनी मूथा के खसरा नम्बर 207 रकबा 2.7100 में वादी सांवतराज को हैक्टर 0.8000 यानि 80/271 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 03 शंकरलाल के कायम मुकाम प्रतिवादीगण संख्या 3/1 मुन्नीदेवी , 3/2 प्रेम कुमार, 3/3 भोलीदेवी, 3/4 पुष्पा, 3/5 सविंता, 3/6 अनिता के पक्ष में 0.8000 हैक्टर यानि 80/271 हिस्सा यानि प्रत्येक का 80/1626 हिस्सा के खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या संख्या 1 को 62/813 हिस्सा खातेदारी कांश्तकार घोषित जाता है।तहसीदार सोजत को तदोनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है। डिक्री पर्चा मूर्तीब हो। निर्णय की एक प्रमाणित प्रति प्रकरण संख्या 212/2011 शंकरलाल बनाम अन्नराज वगैरह में नत्थी की जावे। निर्णय व डिक्री की प्रति तहरीर के साथ वास्ते पालना तहसीलदार सोजत को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद पालना फैशलं शुमार होकर नम्बर से कम हो।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ।
	(मांगीलाल) सहायक कलक्टर सोजत निर्णय आज दिनांक 29/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। (मांगीलाल) सहायक कलक्टर सोजत	

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः- श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

वादीगण :-

1. सांवतराज बनाम धीसाराम जाति जटिया निवासी जटियो का बास, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1 अन्नराज पुत्र अमाराम जाति जटिया निवासी जटियों का बास, सोजत सिटी

2/1 श्रवण कुमार सिंघाडिया पुत्र मिश्रीलाल जाति जटिया निवासी जटियों का बास, सोजत सिटी तहसील सोजत

2/2 भगवानदास पुत्र मिश्रीलाल सिंघाडिया जाति जटिया निवासी जटियों का बास, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राज0

3. शंकरलाल पुत्र पुत्र वालाराम जाति जटिया निवासी जटियों का बास, सोजत सिटी मृतक जरिये का0मु0

3/1 मुन्नीदेवी विधवा शंकरलाल जाति जटिया निवासी जटियो का बास, सोजतसिटी तहसील सोजत

3/2 प्रेमकुमार पुत्र शंकरलाल जाति जटिया निवासी जटियो का बास, सेाजतसिटी जिलाह पाली

3/3 भोलीदेवी पुत्री शंकरलाल पत्नी मदनलाल जाति जटिया निवावी चंगरेवाल बदंसिया जोधपुर

3/4 पुष्पा पुत्री शंकरलाल पत्नी ओमप्रकाश फुलवारी जाति जटिया निवासी जटियों का बास, गिरी तहसील रायपुर

3/5 सविता पुत्री शंकरलाल पत्नी नरेश कुमार बालोटिया जाति जटिया निवासी कोटला विहार, नई दिल्ली

3/6 अनिता पुत्री शंकरलाल पत्नी पूनमचन्द धुसाईवाल निवासी किशनगढ

4. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

राजस्व वाद संख्या :- 213/2011

212 /2011

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व गजेन्द्र मेहता अधिवक्ता वादीगण तथा श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अधिवक्ता वादी का वाद धारा 53 की हद तक पुनः वाद लाने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए जरिये विड्रोवल खारिज किया जाता है तथा शेष वाद माफिक राजीनामा

अनुसार स्वीकार किया जाता है। डिक्री इस अमर की सादिर की जाती है कि वादग्रस्त कृषि भूमि सरहद मौजा बासनी मूथा के खसरा नम्बर 207 रकबा 2.7100 में वादी सांवतराज को हैक्टर 0.8000 यानि 80/271 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 03 शंकरलाल के कायम मुकाम प्रतिवादीगण संख्या 3/1 मुन्नीदेवी , 3/2 प्रेम कुमार, 3/3 भोलीदेवी, 3/4 पुष्पा, 3/5 सविता, 3/6 अनिता के पक्ष में 0.8000 हैक्टर यानि 80/271 हिस्सा यानि प्रत्येक का 80/1626 हिस्सा के खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या संख्या 1 को 62/813 हिस्सा खातेदारी काश्तकार घोषित जाता है।तहसीदार सोजत को तदोनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की एक प्रमाणित प्रति प्रकरण संख्या 212/2011 शंकरलाल बनाम अन्नराज वगैरह में नत्थी की जावे। निर्णय व डिक्री की प्रति तहरीर के साथ वास्ते पालना तहसीलदार सोजत को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद पालना फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 29/10/2024 को जारी किया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			